

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-23/2024-2977 व०प०, राँची, दिनांक-29/7/24
प्रेषक,

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- चतरा जिलान्तर्गत NH-99 चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल-64.0849 हे० वनभूमि
अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में। -

प्रसंग :- आपके कार्यालय का पत्रांक-569 दिनांक-25.06.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा द्वारा अपने पार्ट-III में सूचित किया गया है कि- “Out of 64.0849 ha. forest
land, 60.0849 ha forest land is related to construction of road and its allied activities. One patch
of 4 hectare is proposed for development of road side amenities such as hospital, cafeteria, rest
room etc. Therefore the above patch of 4 hectare forest land non-site specific and it is not
recommended for diversion and only 60.0849 ha forest land is recommended for diversion.”

प्रस्तावित 60.0849 हे० वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा की गई अनुशंसा से
यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वन संरक्षक, चतरा द्वारा जिस 4 हे० वनभूमि की अनुशंसा नहीं की गई है,
वह अधिसूचित वनभूमि है अथवा जंगल-झाड़ी।

अतएव अनुरोध है कि विषयक परियोजना में प्रस्तावित वनभूमि के मौजावार/प्लॉटवार रकबा की
विवरणी शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन


(जलज कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-23/2024-2977 व०प०, राँची, दिनांक-29/7/24

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/Executive Engineer, NH Division,
Hazaribagh, South of PTC Ground Hazaribagh-825301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।


29/7/2024

विशेष कार्य पदाधिकारी